भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3994
सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

ईपीएफओ सदस्यता का विस्तार

3994. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
श्री काली चरण सिंह:
श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अप्रैल, 2025 में नए अंशदाताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा सितम्बर, 2017 से 9 जुलाई, 2025 के दौरान शामिल हुए अंशदाताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) 18-से 25 वर्ष की आयु के महिला और युवा अंशदाताओं का अनुपात अप्रैल, 2025 में कितना है; और

(ग) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर उक्त अतिरिक्त अंशदाताओं के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): वेतन माह 'अप्रैल-2025' के पेरोल डेटा के अनुसार अप्रैल, 2025 में नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंशदाताओं की कुल संख्या 8,48,671* है।

वर्ष सितंबर 2017 से वर्ष 2024-2025 तक शामिल हुए अंशदाताओं की कुल संख्या निम्नानुसार है;

वित्तीय वर्ष	नेट पेरोल डेटा
2017-18 (सितंबर- 2017 से)	15,52,940**
2018-19	61,12,223
2019-20	78,58,394
2020-21	77,08,375
2021-22	1,22,34,625
2022-23	1,38,51,689
2023-24	1,31,48,204
2024-25	1,29,78,168

* प्रथम प्रकाशन माह के अनुसार.

** सितंबर 2017 से पेरोल डेटा

जारी..2/-

(ख): अप्रैल, 2025 में 18 से 25 वर्ष की आयु के महिला और युवा अंशदाताओं का अनुपात नीचे दिया गया है

वेतन माह अप्रैल-2025 के लिए	नए अंशदाताओं की कुल संख्या (यूएएन)
क. महिलाएं (सभी आयु वर्ग)	2,45,073
ख. महिलाएं (18-25 वर्ष)	1,26,331
ग. सभी महिला-पुरुष (युवा 18-25 वर्ष)	4,89,400
अनुपात = महिलाएं (18-25 वर्ष)/सभी महिला-पुरुष (18-25 वर्ष)	0.26

(ग): ईपीएफओ के अंशदाताओं को क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की योजनाओं के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान की जाती है।

*****